डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186] रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 31 अगस्त 2001—भाद्र 9, शक 1923

जल संसाधन विभाग
"संकल्प"

क्रमांक 2821/2/29/व्ही.आई.पी./जसं/तशा/2000 रायपुर, दिनांक 21-08-2001

विषय :— छत्तीसगढ़ राज्य में "छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल" का गठन.

(1) (एक) छत्तीसगढ़ शासन ने सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए "छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल" का गठन करने का विनिश्चय किया है.

(दो) मंडल, अनुसंधान कार्य, परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, नदी क्षेत्रों के मास्टर प्लान तैयार करने तथा सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण करने, जिसमें उसके पूर्वानुमान भी शामिल हैं, का समग्र रूप से प्रभारी होगा.

(2) छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल का गठन निम्नानुसार रहेगा :—

(एक)	मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़	अध्यक्ष
(दो)	जल संसाधन एवं ऊर्जा मंत्री, छत्तीसगढ़	सदस्य
(तीन)	वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़	सदस्य
(चार)	लोक निर्माण मंत्री, छत्तीसगढ़	सदस्य
(पांच)	कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़	सदस्य
(छः)	जल संसाधन राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़	सदस्य
(सात)	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	सदस्य
(आठ)	सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़	सदस्य
(नौ)	सचिव, जल संसाधन एवं ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़	सदस्य

(दस) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् मंडल	सदस्य
(ग्यारह) केन्द्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि	सदस्य
(बारह) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधि	सदस्य
(तेरह) प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छ. ग.	सदस्य
(चौदह) समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, छ. ग.	सदस्य

(3) (एक) मंडल की सहायता के लिये एक सचिव जो जल संसाधन विभाग का पदेन उप-सचिव होगा, एक वित्तीय सलाहकार तथा ऐसे कर्मचारी होंगे, जो आवश्यक हों.

(दो) मंडल का मुख्यालय रायपुर होगा. मंडल को अपनी बैठकों में ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, आमंत्रित करने की शक्ति प्राप्त होगी.

(4) मंडल की सहायता हेतु "कार्यकारिणी समिति" तथा "तकनीकी सलाहकार समिति" रहेगी, जिनका स्वरूप निम्नानुसार रहेगा:—

कार्यकारिणी समिति

(1)	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
(2)	सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़	सदस्य
(3)	सचिव, जल संसाधन एवं ऊर्जा, छत्तीसगढ़	सदस्य
(4)	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	सदस्य
(5)	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छ. ग.	सदस्य
(6)	समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, छ. ग.	सदस्य
(7)	वित्तीय सलाहकार	सदस्य
(8)	सचिव, छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल	सदस्य सचिव

तकनीकी सलाहकार समिति

(1)	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन	अध्यक्ष
(2)	समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन	सदस्य
(3)	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(4)	मुख्य अभियंता (सिविल) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	सदस्य
(5)	सचिव, छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल	सदस्य सचिव

(5) विशेष रूप से तथा उपर्युक्त उपबन्धों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल निम्नलिखित कार्य करेगा :—

(एक) राज्य शासन द्वारा चुनी गई राज्य की प्रमुख वृहद, मध्यम सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के सर्वेक्षण, एवं अनुसंधान कार्य तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने संबंधी कार्य एवं निष्पादन कार्य का पर्यवेक्षण करना.

(दो) डिजाइनें तैयार करने और विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त करने संबंधी समस्त प्रस्तावों की जांच करना तथा उन पर निर्णय लेना.

(तीन) वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के सुचारू निष्पादन के लिये मुख्य अभियंता तथा परियोजनाओं के निष्पादन से संबंधित अन्य अधिकारियों को तकनीकी तथा वित्तीय दोनों प्रकार की ऐसी शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में, जो वह आवश्यक समझें, समय-समय पर जांच करना तथा उनका अनुमोदन करना.

(चार) परियोजनाओं के ठोस तथा सुचारू निष्पादन की दृष्टि से विभिन्न श्रेणियों के निर्माण कार्यों के लिये विशिष्ट विवरणों तथा दर अनुसूची की जांच करना तथा आवश्यकतानुसार उनका निर्धारण करना.

(पांच) वृहद एवं मध्यम परियोजना के ऐसे समस्त पूर्वानुमानों तथा संविदाओं का अनुमोदन करना, जिनकी लागत राज्य शासन, जल संसाधन विभाग, द्वारा दी जाने वाली मंजूरी की शक्तियों से अधिक हो.

(छः) आवश्यक पदों तथा स्थापनाओं के निर्माण के समस्त प्रस्तावों को अनुमोदित करना, बशर्ते प्रस्तावों हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध हो.

(सात) सार्वजनिक निविदाओं तथा विस्तृत पूर्वानुमानों पर आधारित कार्य तथा पूर्ति एवं कार्य-आदेश आधार या अनुसूचित दरों पर आवंटित कार्यों को छोड़, संविदा पर कार्य देने तथा पूर्ति करने के समस्त प्रस्तावों को अनुमोदित करना.

टीप 1 : जब संविदा करते सभय संविदा के अधीन कुल वित्तीय दायित्वों का निश्चित रूप से पता हो तथा संविदा सार्वजनिक निविदा या सीमित निविदायें बुलाये जाने के परिणामस्वरूप हों, तो प्रस्तावों को नियंत्रण मण्डल के समक्ष पहले प्रस्तुत करने की आवश्यकता तब तक नहीं होगी, जब तक की संविदा अन्यथा रूप में राज्य शासन, जल संसाधन विभाग, की मंजूरी की शक्तियों के भीतर हों.

टीप 2 : इससे प्रमुख अभियंता तथा उसके अधीनस्थ अधिकारियों को समय-समय पर प्रत्यायोजित शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

(आठ) अपना कारबार चलाने के प्रयोजनों से शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा प्रक्रिया संबंधी नियम बनाना.

(नौ) उपलब्ध निधियों, परियोजनाओं की अर्थव्यवस्था तथा तुरन्त परिणाम प्राप्त करने की वांछनीयता को ध्यान में रखते हुये, परियोजनाओं के विभिन्न भागों का निर्माण कार्यक्रम विनिश्चित करना.

(दस) भू-अर्जन तथा विस्थापितों के पुनर्वास की समीक्षा.

(ग्यारह) प्रमुख अभियंताओं तथा अन्य अधिकारियों से विहित फार्म में निर्माण कार्य तथा व्यय दोनों के संबंध में ऐसे प्रगति-प्रतिवेदन प्राप्त करना जो वह विहित करे, वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की विभिन्न इकाइयों की प्रगति की समीक्षा करना तथा कार्य में गति लाने के लिये अपनाये जाने वाले उपाय निर्धारित करना.

(बारह) अन्य कार्य जो मण्डल करना उपयुक्त समझे.

(तेरह) ऐसे अन्य कोई भी कार्य करना, जो केन्द्रीय शासन तथा प्रदेश शासन के बीच तय हो.

(6) छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल के कार्य संचालन के नियम :—

छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल के कार्य संचालन हेतु परिशिष्ट-1 में नियम दर्शाये गये हैं. मंडल को आवश्यकतानुसार नवीन नियम के निर्धारण एवं परिशिष्ट-1 में दर्शाये नियमों में संशोधन आदि के पूर्ण अधिकार होंगे.

आदेश

आदेश दिया जाता है यह संकल्प भारत शासन के जल संसाधन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग, अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, महालेखाकार, छत्तीसगढ़ तथा योजना आयोग को संसूचित किया जावे.

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना के लिये "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित किया जाये तथा भारत शासन से इसे "भारत सरकार के गजट" में प्रकाशित करने के लिये निवेदन किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अजय सिंह, सचिव.

परिशिष्ट-एक
(छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल)

विषय :—"छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल" के कार्य संचालन नियम.

(एक) मण्डल की बैठक दो माह में कम से कम एक बार होगी.

(दो) मण्डल के सचिव द्वारा अध्यक्ष के आदेशों के अधीन बैठकें निश्चित की जायेंगी और कार्यसूची को अंतिम रूप दिया जायेगा.

(तीन) बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित की गई मदों पर टीपें बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व मंडल के सचिव द्वारा सब लोगों में वितरित की जायेगी.

(चार) मण्डल को समस्त संदर्भ सामान्यत: स्वयं पूर्ण टीपों के रूप में भेजे जाने चाहिये. मुख्य अभियंता और अन्य सदस्यों को अपने ऐसे प्रस्ताव, जिन पर मण्डल द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है, मण्डल के सचिव को भेजने चाहिये.

(पांच) सचिव, वित्त सलाहकार के परामर्श से प्रस्तावों का समुचित परीक्षण करने के पश्चात् मण्डल द्वारा विचार किये जाने के लिये एक टीप यथासंभव शीघ्र तैयार करेगा. जहां सचिव/वित्त सलाहकार, मुख्य अभियंता/सदस्य से असहमत हों, वहां सचिव/वित्त सलाहकार के मत के संबंध में मुख्य अभियंता/सदस्य के विचार भी सचिव की टीप में सम्मिलित किये जाने चाहिये.

(छ:) सचिव की टीप में उन विषयों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये, जिन पर मण्डल के आदेशों की आवश्यकता हो और उन्हें मण्डल के सदस्यों को भेजा जाना आवश्यक हो. मूल संदर्भ मण्डल के कार्यालय में उपलब्ध होंगे. इससे मण्डल के सदस्य, यदि चाहें तो, मूल संदर्भ, देख सकेंगे.

(सात) ऐसा प्रत्येक अनुमान, जो मुख्य अभियंता की मंजूरी की शक्ति से अधिक हो और जिसके लिये मण्डल की मंजूरी जरूरी हो, मुख्य अभियंता द्वारा उपयुक्त नियम चार और पांच के अनुसरण में, मण्डल की उस बैठक की तारीख से, जिसमें इस पर विचार किया जाता है, कम से कम दो सप्ताह पूर्व मण्डल के सचिव को भेजा जायेगा. यह अनुमान और लागत-संक्षेप ऐसे प्रतिवेदन के साथ, जिसमें बजट व्यवस्था और निधियों की उपलब्धता के संबंध में विस्तार से स्थिति स्पष्ट की गई हो, सचिव को दो प्रतियों भेजा जाना चाहिये.

(आठ) (क) कार्यकारिणी समिति एवं तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक महीने में कम से कम एक बार होगी.

(ख) कार्यकारिणी समिति को, वृहद् एवं मध्यम सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के, रु. 300.00 लाख से अधिक परन्तु 500.00 लाख से कम लागत के ऐसे निर्माण कार्यों, क्रय आदि के लिये, जिनके लिये बजट में व्यवस्था कर दी गई हो, पूर्व अर्हता एवं दर निविदायें स्वीकार करने की अंतिम शक्तियां प्राप्त होंगी. रु. 500.00 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों तथा क्रय की पूर्व अर्हता एवं दर निविदाओं के संबंध में अंतिम आदेश के लिये वह मण्डल को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी, रु. 150.00 लाख से अधिक एवं रु. 300.00 लाख से कम लागत की पूर्व अर्हता एवं दर निविदाओं की स्वीकृति के अधिकार, राज्य शासन, जल संसाधन विभाग के अधीन रहेंगे.

(ग) नवीन वृहद् सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के सर्वेक्षण प्राक्कलन कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत किये जावेंगे, जिसके उपरांत ही परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जा सकेगी.

(घ) कार्यकारिणी समिति को वृहद् एवं मध्यम सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित कर्मचारियों के पद निर्माण के संबंध में मंजूरी प्रदान करने की अंतिम शक्तियां प्राप्त होगी बशर्ते आवश्यक बजट व्यवस्था कर दी गई हो.

(ङ) कार्यकारिणी समिति, व्यय की नई मदों के संबंध में समय-समय पर प्रसारित शासन के निर्देशों से बाध्य होगी.

(च) तकनीकी सलाहकार समिति, उसे निर्दिष्ट सभी मामलों में सलाह देगी. तकनीकी सलाहकार समिति ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति/विशेषज्ञ को, जिसकी उन्हें आवश्यकता हो, जल संसाधन मंत्री के आदेशों के अधीन परामर्श के लिये सहयोजित कर सकेगी.

(नौ) मंडल के निर्णय, मंडल के अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन किये जाने के पश्चात् मंडल की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त में लेखबद्ध किये जावेंगे. मंडल का सचिव अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति सदस्यों को भेजेगा. यदि किसी सदस्य को यथा लेखबद्ध कार्यवृत्त के संबंध में कोई परिवर्तन सुझाना हो, तो वह कार्यवृत्त प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर ऐसा कर सकेगा. यदि प्रस्तावित परिवर्तन से कार्यवाहियां सारभूत रूप में प्रभावित होती हों तो परिवर्तनों को अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् सचिव द्वारा कार्यवृत्त में शामिल किया जा सकेगा. जब कभी कार्यवृत्त में कोई परिवर्तन किया जाये, तो कार्यवृत्त की संशोधित प्रति प्रत्येक सदस्य को अग्रेषित की जानी चाहिये.

भाग-दो-आपात मंजूरी के लिये विशेष प्रक्रिया

(दस) ऐसे मामलों में, जिनमें मुख्य अभियंता/सदस्य को ऐसे कारणों से, जिन्हें विस्तार में दिया जाना चाहिये, मण्डल/कार्यकारणी समिति के तत्काल आदेश अपेक्षित हों, संबंधित मुख्य अभियंता/सदस्य को मण्डल/कार्यकारणी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में इस भाग के अधीन विस्तृत प्रस्ताव भेजने चाहिये और निर्णय की मांग करनी चाहिये.

(ग्यारह) वित्त सलाहकार के इस संदर्भ में यदि कोई मत हो, के प्राप्त होने पर सचिव टीप तैयार करेगा और आदेशों के लिये मंडल के अध्यक्ष/कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के समक्ष मामला प्रस्तुत करेगा. मण्डल एवं कार्यकारिणी समिति की ओर से अध्यक्ष को, समस्त शक्तियों को प्रयोग करने का अधिकार होगा.

(बारह) इस प्रक्रिया के अधीन मंडल/कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा पारित समस्त आदेश, औपचारिक पुष्टि के लिये मंडल/कार्यकारिणी समिति के समक्ष अगली बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे.

भाग-तीन-मंजूरी देना तथा सामान्य पत्र व्यवहार

(तेरह) सचिव, मंडल से अनुमोदित कार्यवृत्त प्राप्त होने पर मंडल के ऐसे संकल्प संबंधित प्राधिकारियों को भेजेगा जिसके कोई वित्तीय परिणाम न होवें.

(चौदह) मंडल या किसी भी अन्य समिति द्वारा जिसे वित्त विभाग द्वारा मण्डल को प्रदत्त प्रत्यायोजनों के अनुसरण में वित्तीय मंजूरी देने की शक्तियां, मंडल द्वारा प्रत्यायोजित की गई हों, दिये जाने के लिये प्राधिकृत वित्तीय मंजूरी मंडल के सचिव द्वारा भी दी जा सकेगी और ऐसा आदेश, महालेखाकार को वित्त विभाग के माध्यम से संसूचित किये बिना लेखापाल परीक्षा के लिये स्वीकार किया जायेगा.

(पन्द्रह) मण्डल की ओर से नियमित तथा सामान्य किस्म का पत्र व्यवहार मण्डल के सचिव द्वारा किया जायेगा. मंडल की ओर से महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार मंडल के सचिव द्वारा मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के आदेशों के अधीन तथा सचिव, जल संसाधन विभाग के मार्ग-दर्शन में किया जायेगा, जो मंडल के सचिव को यथा आवश्यक सामान्य या विशिष्ट निर्देश देंगे.

WATER RESOURCES DEPARTMENT

RESOLUTION

No. 2821/2/29/व्ही.आई.पी./जसं/तशा/2000 Raipur, dated 21-8-2001

Sub :— CONSTITUTION OF "CHHATTISGARH IRRIGATION PROJECTS BOARD."

(1) (i) The Government of Chhattisgarh[keeping in view the need for expeditious execution of Irrigation and Multi-purpose Projects have decided to constitute Chhattisgarh Irrigation Projects Board (CIPB).

(ii) The Board will be in the over all charge of investigation, and preparation of project reports, preparation of river basin-Master Plans and construction of Major, Mediun Irrigation and Multipurpose Projects including their financial forecastes.

(2) The Composition of Chhattisgarh Irrigation Projects Board would be as given below :—

(i)	Chief Minister, Chhattisgarh	Chairman
(ii)	Minister for Water Resources, Chhattisgarh	Member
(iii)	Minister for Finance, Chhattisgarh	Member
(iv)	Minister for Public Works Deptt. Chhattisgarh	Member
(v)	Minister for Agriculture, Chhattisgarh	Member
(vi)	Minister of State for Water Resources, Chhattisgarh	Member
(vii)	Chief Secretary, Chhattisgarh	Member
(viii)	Secretary, Finance Department, Chhattisgarh	Member
(ix)	Secretary, Water Resources & Energy Deptt. C. G.	Member
(x)	Chairman, Chhattisgarh State Electricity Board	Member
(xi)	Representative of Central Water Commission	Member
(xii)	Representative Central Electricity Authority	Member
(xiii)	Engineer-in-chief, Water Resources Deptt. C. G.	Member
(xiv)	All Chief Engineers, Water Resources Deptt. C. G.	Member

(3) (i)The Board shall be assisted by a Secretary who shall be Ex-officio Deputy Secretary to Government of W.R.D., a financial advisor, and such other staff as may be necessary.

(ii) The Board shall have its headquarters at Raipur. The Board shall have the powers to invite in its meetings such other officers as it may consider necessary.

(4) The Board shall be assisted by the "EXECUTIVE COMMITTEE" and "TECHNICAL ADVISORY COMMITTEE" which shall be formed as below :—

EXECUTIVE COMMITTEE

1.	Chief Secretary, Chhattisgarh	Chairman
2.	Secretary, Finance Department, C. G.	Member
3.	Secretary, Water Resources & Energy, C. G.	Member
4.	Chairman, Chhattisgarh State Electricity Board	Member
5.	Engineer-in-chief, Water Resources Deptt. C. G.	Member

6.	All Chief Engineers, W.R.D., C. G.	Member
7.	Financial Advisor	Member
8.	Secretary, Chhattisgarh Irrigation Projects Board	Member-Secretary.

TECHNICAL ADVISORY COMMITTEE

1.	Engineer-in-chief, Water Resources Deptt., C.G.	Chairman
2.	All Chief Engineers, W.R.D., C. G.	Member
3.	Engineer-in-chief, Public Works Deptt., C. G.	Member
4.	Chief Engineer (Civil) Chhattisgarh S. E. Board	Member
5.	Secretary, Chhattisgarh Irrigation Projects Board	Member Secretary

(5) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of the paras above, the Board shall—

(i) Supervise the survey, investigation and preparation of project reports and execution of Major and Medium Irrigation, and Multipurpose projects of the State selected by the State Government.

(ii) Examine and decide all proposals for preparation and designs and for obtaining expert advice.

(iii) Examine and approve from time to time the delegation of such powers to the Chief Engineers and other officers concerned with the execution of the Major and Medium Projects both technical and financial as may be necessary, for the efficient execution of the projects.

(iv) Examine and wherever necessary, lay down specification and schedule of rates for various classes of works with a view to sound and efficient execution of the project.

(v) Approve all the estimates and contracts of the Major and Medium Projects, whose cost exceed the powers of sanction of the State Govt. in Water Resources Deptt.

(vi) Approval of all proposals for creation of posts and establishments required, provided that budget provision has been made.

(vii) Approve all proposals for award of work of supplies on contract, other than those based on public tenders and on detailed quantities estimate and works alloted on work order basis or on scheduled rates.

Note 1: Where total financial liability under a contract is definitely ascertainable at the time of placing contract itself as the result of a public or limited call for tenders, prior submission of the proposals to the Board will not be necessary so long as the contract is, otherwise, within the powers of sanction of the State Govt., Water Resources Deptt.

Note 2: This will not affect the powers delegated from time to time to the Engineer -in-chief and his sub-ordinate officers.

(viii) Frame rules for delegation of powers and procedure for the purpose of carrying out its business.

(ix) Plan the programme of construction of different parts of the project, keeping in view the funds available, the viability of the project and the desirability of obtaining quick results.

(x) Review the progress of Land acquisition and rehabilitation of displaced persons.

(xi) Receive such progress report as it may be prescribed both as to work and expenditure in the prescribed form, from the Chief Engineer and other officers to review the progress of different units of the Major and Medium Projects and lay down steps to be taken to expedite the work.

(xii) Any such work whom the Board considers necessary to do.

(xiii) Any other function that may be agreed upon between the Central Government and Government of Chhattisgarh.

(6) The rules of business of Chhattisgarh Irrigation Projects Board.

The rules of business of Chhattisgarh Irrigation Projects Board (C.I.P.B.) are given in Annexure-I. The Board shall have full powers to amend the rules indicated in Annexure-I, as and when required.

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to the Government of India, Ministry of Water Resources, Ministry of Power, Ministry of Finance, Chairman, Central Water Commission, Chairman Central Electricity Authority, Accountant General, Chhattisgarh and Planning Commission.

Ordered that the Resolution be published in the Chhattisgarh Gazette and the Government of India be requested to publish it in the Gazette of India for general information.

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Secretary.

ANNEXURE-I
RULES OF BUSINESS OF CHHATTISGARH IRRIGATION PROJECT S BOARD

(1) The meeting of the Board shall be held at least once in two months.

(2) The meeting shall be fixed and the agenda shall be finalized by the Secretary of the Board under the orders of the Chairman.

(3) Notes on the items included in the agenda of a meeting shall be circulated by the Secretary of the Board at least seven days prior to the date of meeting.

(4) All reference to the Board should ordinarily be made in the form of self contained notes. The Chief Engineer and other members should send their proposals to the Secretary of the Board, requiring consideration by the Board.

(5) The Secretary, after due examination of the proposals in consultation with the Financial Advisor shall as soon as possible, prepare a note for the consideration of the Board. Where the Secretary/F.A/ disagree with C.E./Member further views of the C.E./Member on the comments of the Secretary/F.A. should also be incorporated in the note of the Secretary.

(6) The Secretary's note should particularly bring out the points on which the orders of the Board are required and should be sent to the Members of the Board. The original references shall be available in the office of the Board. This will enable the Members of the Board to see the original references, if they so desire.

(7) Every estimate which exceeds the powers of sanction of the Chief Engineer and requires the sanction of the Board shall be sent by the Chief Engineer to the Secretary of the Board in accordance with the rule 4 and 5 above, at least, two weeks prior to the date of meeting of the board in which it is to be considered. This estimate and abstract of cost, together with a detailed report which should also explain the position as regards budget provision and availability of funds should be sent to the Secretary in duplicate.

(8). (a) The Executive Committee and the Technical Advisory Committee shall meet at least once in a month to review the progress of Irrigation Projects.

(b) The Executive committee shall have final powers to approve pre-qualification bids and accept tenders for construction of works and purchases for Major and Medium Irrigation and multipurpose projects, whose cost is more than Rs. 300.00 Lakhs but not exceeding Rs. 500.00 Lakhs for which budget provisions have been made. In respect of pre-qualifications and tenders for construction of works and purchases exceeding Rs. 500.00 Lakhs, it shall submit its recommendation to the Board for final orders. The State Govt. in Water Resources Department shall have powers to accept the pre-qualification bids and tenders, costing more than 150.00 Lakhs but less than Rs. 300.00 Lakhs.

(c) The survey estimates for new major Irrigation and multipurpose projects shall be approved by Executive Committee. The administrative approval shall be accorded by the Govt. only after such approval.

(d) The Executive Committee shall have final powers to accord sanction for the creation of posts, for Major and Medium Irrigation and multipurpose projects provided that necessary budget provision has been made.

(e) The Executive Committee shall be bound by the Govt. orders issue from time to time in regard to new items of expenditure.

(f) The Technical Advisory Committee shall advise on all matters refered to it by the Board/Executive Committee. The Techinical advisory Committee can co-opt any other person/expert as member when required, for advise under the order of the Minister for Water Resources.

(9) The decisions of the Board shall be recorded in the minutes of the proceedings after the approval of the minutes by the Chairman of the Board. The Secretary of the Board shall send a copy of the approved minutes to the members. If any member has to suggest any modification in the minutes as recorded, he may do so, within 7 days of the receipt of the minutes. If the proposed modification may affect the proceedings materially, the modification may be incorporated in the minutes by the Secretary after the approval of the Chairman. Whenever modification is made in the minutes, a revised copy should be forwarded to each member.

PART-II-SPECIAL PROCEDURE FOR EMERGENCY SANCTION

(10) In cases where the C.E./Member for reasons to be given in detail, require immediate orders of the Board/Executive Committee in anticipation of the Board/Executive Committee's approval, the Chief Engineer/Member concerned should send detailed proposals and ask for a decision under this part.

(11) On receipt of this reference and comments, if any, of the financial advisor, the Secretary will prepare a note and put up the case to the Chairman of the Board/Executive Committee for orders. Chariman shall exercise full powers on behalf of the Board/Executive Committee.

(12) All orders passed by the Chairman of the Board/Executive Committee under this procedure will be placed before the Board/Executive Committee for formal confirmation in its next meeting.

PART-III-ISSUE OF SANCTIONS AND GENERAL CORRESPONDENCE

(13) The resolution of the Board which do not have financial implications may be issued by the Secretary of the Board to authorities concerned, on receipt of the approved minutes.

(14) Financial sanctions authorised for issue by the Board or by the Executive Committee or any of the Committees to whom powers to accord financial sanction may have been delegated by the Board in accordance with the delegation that may be given to the Board by the Finance Department, shall also be issued by the Secretary to the Board and such an order shall be admitted in the audit, without its communication to the Accountant General thorough finance department.

(15) The routine and general correspondence on behalf of the Borad shall be carried out by the Secretary of the Board. Important correspondences on behalf of the Board shall be carried out by the Secretary of the Board under the orders of Minister of Water Resources, Government of Chhattisgarh and under the guidance of the Secretary, Water Resources Department, Government of Chhattisgarh, who may also give such general or specific directions to the Secretary of the Board as may be necessary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.